वालों को पुरस्कार देने के लिए सरकार ने कोई प्रावधान नहीं बनाया है।

विवरण

गत तीन वर्षों में जिन सरकारी वासों के बारे में उप-किरायेदारी का पता लगा, की इलाके-वार वया इस प्रकार है :

क्रम सं०	कालोनी का नाम	पता लगाये गए मामलों और निरस्त किये गए आवंटनों की संख्या
1	लोधी कालोनी	5
2	डी आई जेड एरिया	20
3	लक्ष्मीबाई नगर	11
4	एम बी रोड	146
5	मोती बाग	5
6	सेवानगर	68
7	नेताजी नगर	12
8	प्रेम नगर	32
9	लोधी रोड काम्प्लेक्स	31
10	सादिक नगर	3
11	आर के पुरम	68
12	आरामबाग	5
13	सरोजनी नगर	9
14	किदवई नगर	25
15	श्री निवासपुरी	20
16	मिन्टो रोड	2
17	पंचकुईयां रोड	2
18	एंड्रयूजगंज	4
19	देवनगर	2
20	लिमारपुर	11
	योग :	481

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम, 1976 में संशोधन

213. **श्री दिलीप सिंह जुदेव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार नगरभूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करने का विचार रखती है ताकि आवास संबंधी क्रियाकलापों में निजी क्षेत्र को शामिल किया जा सके;

(ख) क्या इस संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत अवैध निर्माण कार्य तथा काले धन के प्रयोग पर नियंत्रण किए जाने की संभावना है और मध्यम तथा निम्न वर्गों को सस्ती तथा उचित दरों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) प्रस्तावित संशोधनों में मुख्य जोर मकान निर्माण गतिविधियों में वृद्धि अधिक भूमि का शहरी विकास करने, समाज के विभिन्न वर्गों विशेष कर कमजोर वर्गों के लिए सस्ते रिहायशी मकान बनाने हेतु भू-स्वामियों को प्रोत्साहित करने पर दिया गया है । आवास/विकास क्रियाकलापों में इस वृद्धि से अवैध निर्माण और काले धन के उपयोग पर अंकुश लगने की आशा है।

(घ) इस बारे में राज्य सरकारों के परामर्श से प्रस्ताव तैयार करने के लिए सरकार ने निम्न-लिखित कदम उठाए हैं :

(1) जून, 1990 में मुख्य मंत्रियों की कान्फ्रेंस की।

(2) अक्तूबर, 1990 में आवास मंत्रियों का सम्मेलन।

(3) मार्च, 1992 में मुख्य मंत्रियों की कान्फ्रेंस।

(4) समय-समय पर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मंत्रणा।

(5) राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ मंत्रणा जिसमें मूलतः केन्द्रीय नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का संकल्प लिया गया। बैठक अगस्त, 1992 में हुई।

सरकारी कार्यालयों को दिल्ली से स्थानांतरित किया जाना

214. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालयों और विभागों के कार्य-भार को कम करने तथा आम जनता की कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न मंत्रालयों के अधीन सरकारी विभागों और कार्यालयों को दिल्ली से स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं जहां इन विभागों/कार्यालयों को स्थानांतरित किया जाएगा और इन्हें कब तक स्थानांतरित किये जाने की संभावना है; और

(घ) क्या दिल्ली में कार्यरत सभी संबंधित कर्मचारियों को उन राज्यों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा जहां कार्यालयों को स्थानांतरित किया गया होगा और इस स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप सरकार की प्रतिवर्ष कितनी धनराशि की बचत होगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां। दिल्ली में बढ़ती हुई भीड़-भाड़ को कम करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार के कई कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) और (ग) हरियाणा और उत्तर-प्रदेश राज्यों में समीपस्थ नगरों में स्थानांतरित किए जाने वाले कार्यालयों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं (**नीचे देखिए**)। चूंकि, वास्तविक स्थानान्तरण भूमि के चयन/आबटन, भूमि की लागत, भवनों के निर्माण/किराए पर लेने, आदि, जैसे बहुत से निर्धारक पहलुओं पर निर्भर करता है, अतः ऐसी कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है जिसके भीतर स्थानान्तरण किया जा सके।

(घ) स्थानान्तरित किए जाने वाले कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का वास्तविक स्थानान्तरण सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग का प्रशासनिक मामला है। तथापि, यह माना जाता है कि इन कार्यालयों के स्थानान्तरित हो जाने पर उनमें कार्यरत कार्मिक भी दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित हो जाएंगे।

उपर्युक्त भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर में वर्णित स्थिति को देखते हुए, स्थानान्तरण की वजह से बचत, यदि कोई हो, की मात्रा बता पाना सम्भव नहीं है।